भारतीय गणतंत्र और जनआंदोलन

प्रभात कुमार रॉय

दुनिया के सभी गणतंत्रों के तहत जन-गण को राजसत्ता के प्रति असहमति और शांतिपूर्ण विरोध का मौलिक नागरिक हक़ हासिल है। गणतांत्रिक शासकों को जनमानस अपने बहुमत की ताकत से राजसत्ता से बेदखल कर सकता है। गणतंत्र का बस यही मौलिक चरित्र उसे राजशाही सामंतवाद से एकदम विलग निरुपित करता है। सामंतशाही दौर में शासक वर्ग केवल हिंसक ताकत से सत्ताच्युत होता रहा। भारत एक अत्यंत प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का अनुपम विरल देश रहा। भारत के जन जीवन में उदारता, सहिष्णुता, विचारों का खुलापन, बहस मुबाहिसा और शास्त्रार्थ युगों युगों से प्रवाहमान रहे। गणतांत्रिक परम्पराएं भारत के प्रचीनतम दौर से कायम रही। अजातशत्रु के सांमती सम्राट के रुप में उदित होने से पूर्व भारतीय धरा पर अनेक गणतंत्र सदियों सदियो तक अस्तीत्व में रहे। महात्मा बुद्ध का जन्म भी लिच्छवी गणतंत्र में हुआ। जब इंग्लैंड और अमेरिका का विश्व सभ्यता के पटल पर उदय भी नहीं हुआ था, उस ऐतिहासिक काल में भारतवर्ष ने यूनान, मिश्र, और रोमन सभ्यता-संस्कृति से कहीं आगे निकल कर कदम बढ़ाए। यूनान, मिश्र, और रोमन सभ्यता-संस्कृति इतिहास की गर्त में गर्क हुई, किंतु विस्मयकारी तौर पर भारतीय सभ्यता संस्कृति ने अपना अस्तीत्व बरक़रार रखा। गणतांत्रिक मूल्यों को सीखने समझने और अंगीकार करने के लिए भारत को कदाचित किसी की ओर देखना नहीं पड़ा। वैचारिक संकीर्णता और धर्मान्धता का प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति में कदाचित कोई स्थान रहा नहीं। वादे वादे जायते तत्व बोधा के महामंत्र का उद्घोष करने ऋषियों-मुनियों ने वैचारिक मतभेदों का सदैव स्वागत किया और वैचारिक द्वंदात्मकता को तत्व ज्ञान हासिल करने का मूलमंत्र क़रार दिया। भारतीय चिंतन परम्परा ने वैचारिक मतभेदों को वैमनस्यपूर्ण शत्रुता के तौर पर कदाचित निरुपित नहीं किया ।

गणतंत्र में अहिंसक विरोध प्रदर्शन वस्तुतः शासक वर्ग के कार्यकलापों और नीतियों के विरुद्ध सकारात्मक वैचारिक असमहति का परिचायक रहे। भारतीय गणतंत्र के संविधान निर्माताओं ने जोकि जंग ए आजादी के अत्यंत प्रबल और उत्कट योद्धा रहे, भारतीय संविधान के प्रदत्त मौलिक अधिकारों में वैचारिक अभिव्यक्ति और अहिंसक विरोध प्रदर्शन को बाकायदा समुचित स्थान प्रदान किया। जंग ए आजादी के दौर में गणतांत्रिक विचारों और संस्कारों में शिक्षित-दीक्षित हुई राष्ट्रीय काँग्रेस ने सत्तानशीन होकर बहुत जल्द इन संस्कारों को विस्मृत कर दिया। सन् 1957 में केरल में कम्युनिस्ट कयादत में सत्ता में आई विपक्ष की प्रथम प्रांतीय सरकार को बिना किसी ठोस कारण के बर्खास्त कर दिया। यह घनघोर अलोकतांत्रिक बर्खास्तगी पं0 नेहरु काल में पल्लवित हुई परिवारपरस्त और सामंती

तानाशाही प्रवृति के कारण अंजाम दी गई। इंदिरा गाँधी ने 1975 में राष्ट्र पर आपातकाल थोप दिया, केवल इस कारण कि इंदिरा सरकार की नीतियों की मुखालिफ़त में लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में संपूर्ण विपक्ष अहिंसक विरोध प्रर्दशनों में एकजुटता की ओर बढा था। आपातकाल में लाखों लोगों को सिर्फ इसलिए जेलों में ठूंस दिया गया कि उनका शासकीय नीतियों का महज शांतिपूर्ण विरोध था। 1977 के आम चुनाव में भारतीय जनमानस ने काँग्रेस को जबरदस्त शिक़स्त देकर, उसे जोरदार ऐतिहासिक सबक सिखाया।

सन् 1977 के आम चुनाव के ऐतिहासिक सबक को काँग्रेस ने पूर्णतः विस्मृत कर दिया। काँग्रेस कटु ऐतिहासिक सबक को यदि विस्मृत न करती तो यकी़नन उसकी कयादत में यूपीए हुकूमत 5 जून 2011 की काली रात में रामलीला मैदान में निंद्रा में विलीन 60 हजार अहिंसक प्रर्दशनकारियों पर इतने बर्बर और वहशियाना तरीके से कदाचित प्रहार न करती। बिना किसी पूर्व चेतावनी के, केंद्रीय गृहमंत्रालय के सीधे नियंत्रण में कार्यरत दिल्ली पुलिस आँसू गैस के गोलों को दागती हुई, लाठीयां-बंदूकों से लैस होकर बेगुनाहों पर टूट पड़ी। बेशुमार लोग घायल हुए, जिनमें अनेक बुरी तरह जख्मी हुए। पूर्णतः अहिंसक विरोध प्रर्दशन का ऐसा ही हश्र होगा तो क्या भारतवासियों को नक्सलपंथियों की हिंसक भाषा समझ में आने का खतरा नहीं बढ़ेगा? क्या राजसत्ता का जन्म वस्तुतः संवैधानिक कानून कायदे और नैतिकता से सराबोर रुल ऑफ लॉ से होता है अथवा कामरेड माओ के अल्फ़ाज़ में सिर्फ बंदूक की नली से होता है। यह मुद्दआ सदैव ही जेर ए बहस बना रहा। नक्सलपंथियों के साथ ही क्या मनमोहना हुकूमत भी यह बाकायदा मानने लगी है कि राजसत्ता का जन्म बंदूक की नली से ही होता है? 25 जून 1975 के बाद एक बार पुनः 5 जून 2011 को भारत का गणतंत्र खतरे में आ गया। शर्मनाक स्थिति तब और विकट हुई, जबकि काँग्रेस नेतृत्व अपने कुकृत्य पर शर्मिंदा होने के स्थान पर बेशर्मी के साथ कोर्ट में उसकी पैरोकारी करते नजर आया। विदेशों में काले धन के तौर पर संग्रहित किए अकूत अरबों-खरबों की धन राशि का राष्ट्रीयकरण करने के लिए अंजाम दिया रहा, अहिंसक आंदोलन क्या गैर कानूनी था? सुप्रीम कोर्ट ने शानदार ढ़ग से सारे मामले का संज्ञान लेकर मनमोहन सिंह सरकार को कटघरे खडा़ कर दिया है।

दिल्ली के रामलीला मैदान को भारत का थ्यानमैन चौक बना देने वाले राजमद में चूर घनघोर अहंकारी राजनेताओं को भारत का जनमानस बख्शेगा कदाचित नहीं। भ्रष्ट्राचार का वर्ल्ड रिकार्ड कायम करने वाली मनमोहन सिंह सरकार भ्रष्ट्राचार के बरखिलाफ खड़े होने वाले जनआंदोलन की प्रत्येक मुहिम को कुचल डालने का रुख इख्तयार किया। मनमोहन सिंह सरकार के रवैये के कारण उच्चतम स्तर पर शासकीय भ्रष्ट्राचार की रोकथाम करने के लिए अन्ना हजारे की जनलोकपाल बिल की मुहिम का हश्र भी देश के समक्ष आ गया। अकूत काले धन का राष्ट्रीयकरण करने की बाबा रामदेव की

मुहिम का अंजाम तो देश ने अश्रुपूरित आँखों से टी.वी. के परदे पर देखा। क्या भारत के करोड़ों जन गण अनाचारी, भ्रष्ट्राचारी और जालिम हुकूमत की हिंसक शक्ति से खौफ़ज़दा होकर खामोश बैठ जाएगें? साम्राज्य में सूर्यास्त न देखने वाली ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेकनें वाले भारतवासियों के वारिस कदाचित इतने निर्बल नहीं कि काले अंग्रेजों को शिक़स्त न दे सके। जातिवाद, धर्मान्धता और क्षेत्रिय संकीणताओं को दरकिनार कर पूर्णरुपेण जाग्रत होकर भारतीय नागरिक जन-गण आम चुनाव के दिन ही सभी भ्रष्ट अपराधी और अहंकारी राजनेताओं को इतिहास के कूड़े दान में दफ़न कर सकते हैं। भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक व्यवस्था में देश के आम नागरिकों का यकीन कायम रहे, इसलिए बेहद जरुरी है कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध और प्रदर्शन के मौलिक संवैधानिक अधिकारों की हिफ़ाजत का काम राष्ट्र की न्यायपालिका अत्यंत दृढ़तापूर्वक अंजाम दे अन्यथा कार्यपालिका के तौर पर काम करने वाली हुकूमत जब आम नागरिकों की अहिंसक आवाज़ को भी जब राजसत्ता की शक्ति के बलबूते पर कुचलने की कोशिश करती है तो वह अहिंसक प्रतिरोध को हिंसक आंदोलन में परिवर्तित होने की परिस्थिति का सृजन करती है। किसी भी गणतंत्र को अहिंसक प्रतिरोध और प्रदर्शन यक़ीनन उसे ताकतवर बनाते हैं, क्योंकि ये शासक वर्ग के शांतिपूर्ण परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कामयाब गणतंत्र की यही पहचान रही है कि इसकी शानदार ताकत से सत्ता और समाज जन-गण की इच्छा शक्ति से बिना किसी खून खराबे के बदल सकते हैं।

(पूर्व प्रशासनिक अधिकारी)